डाक / ईमेल / अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकःएफ 13(26)खा.वि./आवंटन/2024–02439 जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

:– आदेश –:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सुचारू संचालन एवं चयनित पात्र लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से खाध विभाग (मुख्यालय) स्तर से जिलेवार/उचित मूल्य दुकानवार आवंटन तथा जिला स्तर से उठाव एवं वितरण के सम्बन्ध में तिथिवार कलेण्डर निम्नानुसार जारी किया जाना जाता है :–

आवंटन/उठाव प्रक्रिया	वितरण माह	निश्चित तिथि
खाध विभाग (मुख्यालय) द्वारा जिलेवार/उचित मूल्य दुकानवार आवंटन जारी करना	वितरण माह से 2 माह पूर्व	दिनांक 01 से 15 तक
भारतीय खाध निगम द्वारा डिपो तय कर विभाग/ जिला रसद अधिकारी को सूचित कराना	वितरण माह से 2 माह पूर्व	दिनांक 15 से 20 तक
जिला रसद अधिकारी द्वारा उप–आवंटन कर RO जारी करना तथा FCI/परिवहनकर्ता को सूचित करना	वितरण माह से 2 माह पूर्व	दिनांक 20 से 30 तक
निगम/KVSS/परिवहनकर्ता द्वारा FCI से उठाव	वितरण माह से 1 माह पूर्व	दिनांक 01 से माह के अन्त तक
पात्र लाभार्थियों को वितरण	वितरण माह	दिनांक 01 से माह के अन्त तक

साथ ही निर्देशित किया जाता है कि :–

1. भारतीय खाध निगम द्वारा खाद्यान्न उठाव हेतु डिपो का निर्धारण निश्चित समयावधि में किया जावेगा।
2. DSO/MCS नियमित रूप से माह के प्रत्येक दिन पर्याप्त संख्या में ट्रकों की उपलब्धता करवाते हुए, उक्त योजना में समानुपातिक रूप से भारतीय खाद्य निगम के कार्य दिवसों में निर्धारित वैधता अवधि के दौरान आवंटित गेहूं का शत–प्रतिशत उठाव कराया जाकर एवं वितरण सुनिश्चित करायेंगे। गेहू उठाव हेतु वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जावेगा। खाधान्न उठाव में देरी के लिए सम्बन्धित DSO/MCS उत्तरदायी होंगे, जिसके लिए उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
3. FCI से उठाव किये गये खाधान्न (गेहू) की उठाव से 24 घण्टे में उचित मूल्य दुकानों पर पहुच सुनिश्चित की जावेगी।
4. उठाव की गयी मात्रा को उचित मूल्य दुकान पर डिलीवरी के समय पोस मशीन के माध्यम से रिसीव किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, जिसके लिए –
   - इस सम्बन्ध में 01 नवम्बर, 2024 से भारतीय खाध निगम से उठाव करने के पश्चात् परिवहनकर्ता द्वारा उचित मूल्य दुकान को भोतिक रूप से डिलीवर की गयी मात्रा को उसी समय पोस मशीन में रिसीव कर, पोस मशीन के माध्यम से दी गई रसीद के आधार पर ही परिवहनकर्ता को भुगतान देय होगा।

RajKaj Ref No.: 11506658

- दिनांक 01 नवम्बर, 2024 के पश्चात उठाव की गई मात्रा के विरुद्ध परिवहनकर्ता को बिना पोस रसीद भुगतान नही किया जावेगा, यदि किया जाता है, तो सम्बन्धित DSO/MCS उत्तरदायी होंगे।
- इस सम्बन्ध में सभी DSO/MCS सुनिश्चित करे कि परिवहनकर्ता द्वारा उचित मूल्य दुकान पर डिलीवरी के समय पोस रसीद लेना आवश्यक होगा।
- FPS डीलर के पास पोस के लिए पेपर रोल उपलब्ध होना आवश्यक है।
- किसी भी स्थिति में FPS द्वारा भोतिक रूप से प्राप्त की गयी मात्रा पोस मशीन में रिसीव नही करने पर सम्बन्धित के खिलाफ तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जावे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, उपायुक्त (प्रथम / द्वितीय), खाद्य विभाग,राज.जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
9. महाप्रबंधक (क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पेलेस, टोंक रोड, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशों के क्रम में खाद्य विभाग (मुख्यालय) द्वारा आवंटित खाद्यान्न के उठाव हेतु निर्धारित समयावधि में डिपों तय कर संबंधित को अवगत कराने हेतु जिला प्रबंधकों को निर्देशित करने का श्रम करें।
10. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
11. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान / प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए में दिनांक 01 नवम्बर, 2024 के पश्चात् भारतीय खाद्य निगम से उठाई गई मात्रा के विरूद्ध परिवहनकर्ता को बिना पोस रसीद के भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जावें।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, राज.जयपुर को को सभी संबंधित को ईमेल एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date :30-10-2024 11:23:42

RajKaj Ref No.: 11506658